

न्यायालय- विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट) चन्दौली।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या-270/2018

सरकार

प्रति

बाबूलाल वगैरह

धारा: 323,504,506,452,354बी भा.दं.स

व 3(1)द, 3(1)ध एस.सी./एसटी

थाना चकिया, जिला- चन्दौली।

आ रो प

मैं, अम्बर रावत, विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट) चन्दौली आप अभियुक्तगण

1. बाबूलाल

2. ओम प्रकाश उर्फ रामप्रकाश

को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ :-

प्रथम-यह कि दिनांक 16.9.2018 को समय 9 बजे रात्रि स्थान परिवादिनी का घर ग्राम दूबेपुर सलया, थाना चकिया चन्दौली, जिला चन्दौली में आप अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा व अन्य को पुरानी रंजिश को लेकर लात मुक्का से मारकर साधारण चोट पहुँचायी इसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323 के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा को भद्दी-2 गालियाँ देकर लोक शांति भंग किया, इस प्रकार आप ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 504 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीय- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा को जान से जान से मारने की धमकी दिया, इसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 506 के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चतुर्थ- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर मार पीट कारित की गयी, इसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 452 के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

पंचम- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर प्रार्थिनी को बेइज्जत करने के नियत सेजमीन पर पटक कर लज्जा भंग किया गया, इसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 354बी के तहत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

षष्ठम- यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा यह जानते हुए कि वादिनी मुकदमा अनुसूचित जाति का सदस्य है, आप लोग गैर

अनुसूचित जाति का होते हुए उसे अपमानित करने के आशय से जनता को दृष्टिगोचर लोक स्थान पर अभिन्नस्त किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 3(1)(द) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

सप्तम-यह कि उक्त दिनांक समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने यह जानते हुए कि वादिनी मुकदमा जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, आप लोग गैर अनुसूचित जाति का होते हुए उसे अपमानित करने के आशय से जनता को दृष्टिगोचर लोक स्थान पर जाति सूचक गाली गलौच किया। इस प्रकार आप अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है जो धारा 3(1)(ध) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि आपका विचारण उपरोक्त आरोप पर इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-13.08.2021ई0

(अम्बर रावत)

विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी एक्ट
चन्दौली।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तग को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया तथा विचारण की माँग किया।

दिनांक-13.08.2021ई0

(अम्बर रावत)

विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी एक्ट
चन्दौली।